

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : एफ 2-06/2018/1-55
प्रति,


भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2018

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश

विषय:- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018"
संदर्भ:- वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक दिनांक 16.04.2018


0000

कृपया संदर्भित बैठक दिनांक 16.04.2018 के संबंध में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के नियमों का यथासंशोधित प्रारूप आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नकर अनुरोध है, कि समस्त संभागायुक्तों / अधिष्ठाताओं को उक्त नियम अग्रेषित कर लागू कराने का कष्ट करें।


9/c (नरेन्द्र सिंह परमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2018

पृ0क्रमांक : एफ 2-06/2018/1-55
प्रतिलिपि:-

- 1 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
- 2 संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


8/c अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक ११०००० / 1/55/2018,

भोपाल, दिनांक 07/04/2018

मध्य प्रदेश शासन एतद्वारा राज्य शासन द्वारा स्थापित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में गैर शैक्षणिक संवर्ग के लिए निम्नानुसार आदर्श भरती एवं सेवा की शर्तें नियम बनाए जात हैं—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ —

- 1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" है।
- 1.2 ये नियम ऐसे स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय पर लागू होंगे, जो इन्हें कार्यकारिणी समिति में संकल्प पारित कर लागू करें।
- 1.3 ये नियम स्वशासी समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा संकल्प पारित करने की तिथि से लागू होंगे।


2. प्रयुक्ति —

- 2.1 ये नियम मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृत गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों के संबंध में लागू होंगे।
- 2.2 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन नियमों को ऐसे पदों के लिए भी लागू कर सकेगी जिनके वेतन-भत्तों के भुगतान की व्यवस्था स्वयं के राजस्व से करने के लिए महाविद्यालय सक्षम है और जिनके संबंध में संभाग आयुक्त से लिखित अनुमति ले ली गई है।

3. परिभाषा —

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, (i) चिकित्सा महाविद्यालय, (ii) दंत चिकित्सा महाविद्यालय, एवं (iii) मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर, जिसकी कार्यकारिणी समिति ने इन नियमों को लागू किया हो।


07.04.18

- (ख) "अर्हता" से अभिप्रेत है, अनुसूची-तीन में उल्लेखित पदों के लिये निर्धारित अर्हता।
- (ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा महाविद्यालय के लिए समय-समय पर अनुमोदित अनुसूची।
- (घ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति। चयन समिति का एक सदस्य महाविद्यालय का अधीक्षक होगा एवं एक सदस्य संभागायुक्त द्वारा समय-समय पर मनोनीत सेवानिवृत्त अथवा सेवारत् प्राध्यापक होगा।
- (ङ) "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अधीन महाविद्यालय के लिए गठित स्वशासी समिति की कार्यकारिणी समिति।
- (च) "नियुक्तकर्ता अधिकारी" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
- (छ) "अधिष्ठाता" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
- (ज) "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता।
- (झ) "गैर शैक्षणिक संवर्ग" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में वर्णित पदों का संवर्ग।
- (ञ) "पंजीयन पंजी" से अभिप्रेत है, चिकित्सक के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा संधारित पंजीयन पंजी।

4. आमेलन तथा चयन प्रक्रिया -

4.1 कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व से नियुक्त व्यक्ति को, जो इन नियमों के आरम्भ होने के अव्यवहित पूर्व से ही धारित किया हुआ हो, इन नियमों में संलग्न अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों में से उपयुक्त पद पर एवं वेतनमान पर आमेलित किया जाएगा। परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा किसी पद के विरुद्ध की हो, की सेवा राज्य शासन के नियमों के तहत शासित होगी और उसे स्वशासी समिति में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया माना जाएगा।

4.2 आमेलन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

4.2.1 कार्यकारिणी समिति द्वारा इन नियमों के लागू होने से पूर्व में नियुक्त किया गया व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नति से पदस्थ किया गया हो का, यदि वह उस पद की अर्हता रखता हो तो, उसी पद पर आमेलन किया जाएगा।

4.2.2 चयन समिति आमेलन के लिये परीक्षण कर अनुशंसा करेगी एवं तदानुसार आमेलन किया गया जाएगा।


5. रिक्त पदों पर नियुक्ति -

रिक्त पद तथा भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्ति निम्नानुसार होगी :-

- 5.1 रिक्त पदों में से सीधी भरती के पद और पदोन्नति के पद की गणना संलग्न अनुसूची-दो अनुसार की जाएगी।
- 5.2 रिक्त पदों की पूर्ति के आवश्यक न्यूनतम अर्हता अनुसूची-तीन अनुसार होगी न्यूनतम अर्हता के मापदण्ड में कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर आवश्यकतानुसार वृद्धि कर सकेगी तथा अतिरिक्त अर्हता नियत कर सकेगी।

6. सीधी भरती की प्रक्रिया -

- 6.1 सीधी भरती के पदों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति विज्ञप्ति जारी करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी।
- 6.2 सीधी भरती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों नियत कर सकेगी।
- 6.3 चयन समिति मेरिट के आधार पर एवं मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुशंसा देगी।
- 6.4 चयन सूची के वरीयता क्रम में नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अनुबंध पर की जाएगी।
- 6.5 परिवीक्षा अवधि में संबंधित व्यक्ति के द्वारा संपादित कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर चयन समिति संबंधित व्यक्ति को नियुक्त करने अथवा अन्यथा की अनुशंसा करेगी और तदानुसार आदेश जारी किया जाएगा।
- 6.6 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भरती के पद के लिए अर्हताधारी हो, सीधी भरती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेना होगी।
- 6.7 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरुद्ध चयन किया जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति का वेतन निर्धारण, उसके द्वारा महाविद्यालय में दी गई पूर्व सेवा अवधि को गणना में लेकर किया जाएगा।

 3

7. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया -

7.1 पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर निम्न में से कोई भी एक या अधिक मापदण्ड अपनाने का निर्णय ले सकेगी :-

(अ) कार्यकारिणी समिति के चिकित्सा महाविद्यालय में की गई सेवा अवधि का मूल्यांकन ।

(ब) साक्षात्कार ।

(स) लिखित परीक्षा ।

7.2 गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूची-चार के अनुसार विचारण क्षेत्र में रखा जाएगा ।

7.3 पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में पदोन्नति के पद की अर्हता रखने वाले उपलब्ध सभी अथवा रिक्त पद के चार गुना, दोनो में से जो भी कम हो, अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। विचारण क्षेत्र सूची महाविद्यालय में की गई सेवा अवधि के घटते क्रम में बनाई जाएगी ।

7.4 चयन समिति उम्मीदवारों का चयन कर पदोन्नति हेतु अनुशंसा देगी और चयन सूची के वरीयताक्रम में रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे ।

8. आरक्षण -

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी ।

9. प्रतिनियुक्ति सेवा -

नियम 5.1 के परन्तुक के तहत प्रतिनियुक्ति पर महाविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य प्रतिनियुक्तियाँ निम्नानुसार नियोजित होगी :-

9.1 कार्यकारिणी समिति किसी भी रिक्त पद को एक बार में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति से भर सकेगी लेकिन किसी भी व्यक्ति की कुल प्रतिनियुक्ति अवधि 06 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी ।

9.2 प्रत्येक प्रतिनियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी ।

10. अनुबंध सेवा -

10.1 कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर यथावश्यक रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्हताधारी व्यक्ति की सेवाएं निम्नानुसार अनुबंध पर ले सकेगी :-

- 10.1.1 अनुबंध सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी ।
- 10.1.2 किसी व्यक्ति को उसकी आयु 65 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त अनुबंध सेवा पर जारी नहीं रखा जा सकेगा ।
- 10.1.3 कार्यकारिणी समिति अनुबंध सेवा के लिए यथोचित सेवानिवृत्ति से पूर्व आहरित अंतिम वेतन की राशि में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि अथवा जिस पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति प्रस्तावित है, उसके लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते की राशि जोड़कर संविदा वेतन एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक या कार्य आधारित पारिश्रमिक नियत कर सकेगी ।
- 10.2 कार्यकारिणी समिति नियम 2.2 के अधीन सृजित पद के लिए अर्हताधारी व्यक्ति की सेवाएं निम्नानुसार अनुबंध पर ले सकेगी:-
- 10.2.1 अनुबंध सेवा पूर्णकालीन, अंशकालीन अथवा कार्य धारित हो सकेगी;
- 10.2.2 अनुबंध सेवा का पारिश्रमिक महाविद्यालय के स्वअर्जित राजस्व को ध्यान में रखकर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकेगा ।

11. सेवा की शर्तें -

11.1 अवकाश :-

- (I) इन नियमों के तहत आमेलन पर भरती या पदोन्नति अथवा सीधी भरती से नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अनुसूची-पांच में उल्लेखित अवकाश उपभोग करने के लिए पात्र होगा ।
- (II) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा । अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रद्द करने का निर्णय ले सकेगा ।
- (III) सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा ।
- (IV) नियम-10.2 के तहत अनुबंध सेवा पर कार्यरत व्यक्ति को अवकाश अनुबंध के मुताबिक अवकाश दिया जाएगा ।

11.2 वेतनमान :- मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में वेतनमान अनुसूची-एक के कॉलम 4 में दर्शाये अनुसार होगा ।



12. आचरण –

गैर शैक्षणिक संवर्ग के सेवक के लिए लागू आचरण नियम निम्नानुसार होंगे :-

- 12.1 व्यावसायिक आचरण – संबंधित चिकित्सकीय सेवक के लिए लागू भारतीय आयुर्विज्ञान तथा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान, भारतीय दन्त तथा मध्य प्रदेश राज्य दन्त परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदण्डों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना।
- 12.2 सामान्य आचरण राज्य शासन की सेवा में कार्यरत समकक्ष व्यक्तियों पर लागू आचरण नियमों के अनुरूप होगा।

13. अनुशासन तथा नियंत्रण –

इन नियमों से शासित किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित दशाओं में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी :-

- 13.1 किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के लिए दोष सिद्ध किए जाने अथवा पंजीयन पंजी से नाम स्थाई रूप से हटाए जाने की स्थिति में ऐसा व्यक्ति स्वमेव सेवा से पृथक माना जाएगा।
- 13.2 निम्नलिखित अपचार के लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जा सकेगा:-
 - i. वित्तीय अनियमितता करने, गबन करने या महाविद्यालय, सम्बद्ध चिकित्सालय या सरकार को वित्तीय हानि कारित करने पर ;
 - ii. कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में ;
 - iii. अमर्यादित व्यावसायिक या प्रशासनिक आचरण करने की दशा में ;
 - iv. गंभीर अनुशासनहीनता के आचरण की दशा में ;
- 13.3 लिखित आख्यामक आदेश जारी कर उक्त नियम-13.2 में वर्णित किसी अपचार के लिए दोषी व्यक्ति को निम्नलिखित दण्डों में से उचित दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:-
 - i. सेवा समाप्त करना ;
 - ii. वेतनवृद्धि रोकना ;
 - iii. हानि की राशि की वसूली करना ;
 - iv. अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिन (dies-non) अथवा अवैतनिक घोषित करना।
- 13.4 अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा एवं कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अपीलीय अधिकारी होगा।

13.5 अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा :-

- i. सुनवाई के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे ;
- ii. संबंधित व्यक्ति को उसके विरुद्ध प्रमाण का अवलोकन कराया जाएगा ;
- iii. उपरोक्त नियम 13.2 के अधीन दंडारोपण के लिए सूचना जारी करने के दिनांक से सामान्यतः दो मास के भीतर समस्त कार्रवाई पूरी की जाएगी ।
- iv. सेवा समाप्त करने का दण्ड अधिरोपित करने के लिए आरोप-पत्र एवं आरोपों का अभिकथन अपचारी सेवक को देते हुए विस्तृत जांच सम्पन्न करना आवश्यक होगा। विस्तृत जांच उपरांत सेवा से पृथक करने का दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक होगा।

14. अधिवार्षिकी आयु -

अनुसूची-एक में वर्णित पदों के संवर्ग के लिए अधिवार्षिकी आयु अनुसूची 3 के कॉलम 6 अनुसार होगी ।

15. पेंशन -

स्वशासी समिति संकल्प पारित कर राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर सकेगी।

16. निर्वचन -

इन नियमों के अधीन निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है उसे आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को निर्दिष्ट किया जाएगा, उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

17. निरसन और व्यावृत्ति -

इन नियमों के तत्स्थानी तथा उनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं ।

परन्तु, इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी ।